

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती भगवती उर्फ कंचन
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 59/24
जीसीएमएस : 2024/227

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|--|
| | <p>दिनांक : 24.04.2025</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम कंचन पुत्री कना गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, आयकर विभाग के कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, ग्राम पंचायत खेमली द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति, सहखातेदारों का 100/- रुपये स्टाम्प पर सहमति पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर कंचन एवं भगवती दोनो को एक ही महिला होना बताकर नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जुनावास पटवार हल्का खेमली तह. घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 180 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार कंचन पुत्री कना के बजाय कंचन उर्फ भगवती पुत्री कना संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी मावली</p> | |

